"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 जनवरी 2003—पौष 14, शक 1924

पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2002/न. प्र./18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत दीपका, जिला-कोरबा को नगरपालिका परिषद् दीपका गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगरपालिका परिषद् दीपका का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	जनसंख्या (3)	प. ह. नं. (4)	रकबा (5)
1.	दीपका	20182	21	745.178 हे.

अनुसूची-2

नगरपालिका परिषद् दीपका की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

राजस्व ग्राम/ग्राम पंचायत दीपका की सीमाएं ही नगरपालिका परिषद् की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर कोरबा को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 4th January 2003

NOTIFICATION

No. F 1-14/2002/UAD/18.—In exercise of powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government. hereby signify there intention to constitute a Municipal Council Deepka in place of Gram Panchayat Deepka in District Korba.

SCHEDULE-I

The particulars of the proposed Municipal Council Deepka is as under :—

Sl. No. (1)	Name of Village (2)	Population (3)	P.H. No. (4)	Area (5)
1.	Deepka	20182	21	745.178

SCHEDULE-II

The boundaries of the proposed Municipal Council Deepka is as below :—

The Boundaries of Municipal Deepka shall be the boundaries of existing revenue village and Gram Panchayat Deepka.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector Korba on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.